<u>अतिमहत्वपूर्ण / फैक्स / ई–मेल</u>

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–5,लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

संख्याःजी-245/41 ए/2017 दिनांक 27 .07.2017

विषयः ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत अभियान चलाकर संयुक्त खातों की भूमि में किसानों का अंश निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 536/एक–7–2017–रा0–7, दिनांक 26 जुलाई 2017 एवं परिषदादेश संख्या–जी–226/जी–5–41ए/2017, दिनांक 17 जुलाई, 2017 के कम में ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत अभियान चलाकर संयुक्त खातों की भूमि में किसानों का अंश निर्धारण हेतु निम्नवत निदेश दिये जाते है–

2. जनपद स्तर पर स्टेट एन0आई0सी0 द्वारा डी0एल0सी0 (जिला स्तरीय समिति) को उपलब्ध कराये गये डेटा का सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाकर एक सप्ताह **<u>(01.08.2017 से 07.08.2017 तक)</u>** में अवश्य पूर्ण कर लिया जाए।

3. सत्यापन के दौरान यह भी देख लिया जाए कि यदि किसी ऋणी कृषक की मृत्यु हो चुकी है, तो उसे चिन्हित कर जिला स्तरीय समिति को तत्काल अवगत करा दिया जाए, जिससे कि उसके नाम से ऋण मोचन न हो सके। उसके वारिसानों का निर्धारण कर ऋण मोचन की कार्यवाही कैम्प के पश्चात् नियमानुसार की जाए।

4. ऋणमोचन के सम्बन्ध में पहला कैम्प 16 अगस्त 2017 को लखनऊ में आयोजित किया जाएगा तथा अन्य जनपदों में कैम्प की तिथि संस्थागत वित्त विभाग/कृषि विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी।

5. इस कार्य हेतु जनपद स्तर पर एक अपर जिलाधिकारी एवं मण्डल स्तर पर अपर आयुक्त को नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनके नाम व मोबाइल नं0 परिषद को ई–मेल के माध्यम से दो दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करे। नोडल अधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस की प्रगति की सूचना ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया उक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

27/7/2017

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त
कृते आयुक्त एवं सचिव

<u>पत्र संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार</u>

प्रतिलिपि विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–7, लखनऊ के पत्र संख्या 536/एक–7–2017–रा0–7, दिनांक 26 जुलाई, 2017 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त
कृते आयुक्त एवं सचिव